

क्र.सं.

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

10-5-22 पञ्जावली आज पेश हुयी / वकील  
वादी अनुपरिष्पत्र / न्यायालय  
रसम में रुक रुक कर बारबार  
आवाजे लगवायी गयी / नानो  
वादी वकील और नानो स्वयं  
वादी उपरिष्पत्र हुये / अनः पञ्जावली  
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश  
9 नियम 3 (अदभयेश्वी अदभदावरी)  
के तहत रकारिज की जाती है /  
पञ्जावली फैसल में सुमार हो  
गम्बर से काम की जाकर दाखिल  
दफ्तर हो।

सुप जिला कलेक्टर  
चौथ का बरवाड़ा